न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 193/2019

1 रामकुमार
2 दलीप कुमार
} पिसरान रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 रामस्वरूप पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2 विद्यादेवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कमलादेवी पत्नी रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्रसिंह रमाणा अधिवक्ता — वादी
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23.07.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादी के दादा श्री मनीराम थे।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 7 एल.के.एस. के खाता संख्या 77 के पत्थर नम्बर 9/280 के किला नम्बर 8 ता 20, 25 की 3.542 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन पत्थर नम्बर 8/280 के किला नम्बर 9 ता 15 की 1.771 हैक्टर. इस प्रकार कुल तादादी 5.313 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादा श्री मनीराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित रकबा विरासतन/दस्तबरदारी के प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पंचायत के मोहत बिरान व्यक्तियों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का घरा घरू बंटवारा करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादीगण की बहन है ने रोबरू बंटवारा अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के हक मे त्याग कर दिया तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना स्वीकार किया और प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक व हिस्सा अपने विवाह में बतौर सप्रेम भेट, स्त्री धन, जेवरात, घरेलू सामान में प्राप्त करना स्वीकार किया प्रतिवादी संख्या 2 का वादीगण से हार्दिक स्नेह होने के कारण अपना हक व हिस्सा वादीगण के हक में मौखिक रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात वादीगण को वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे 2/3 हिस्सा कृषि भूमि बहिस्सा

Scanned by CamScanner

बराबर प्राप्त हुई और शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 3 ने अपने भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू अपने पास रख ली ।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित 5.313 हैक्टर में से वादीगण का कब्जा 2/3 हिस्सा पर धरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के वर्णित रकबा मे से 2/3 हिस्सा की बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का प्रश्नगत पैतृक रकबा मे वादीगण का हक व हिस्सा मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है।

प्रतिवादी संख्या 4 भूधारक है इसलिये उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित रकबा मे से वादीगण 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.06.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री हरजिन्द्रसिंह रमाणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री नविन जैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्षों में पंचायत के मोहत विरान सदस्यों व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नही होने देने के लिए स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से है :–

1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित रकबा चक नम्बर 7 एल.के.एस. के खाता संख्या 77 के पत्थर नम्बर 9/280 के किला नम्बर 8 ता 20, 25 की 3.542 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन पत्थर नम्बर 8/280 के किला नम्बर 9 ता 15 की 1.771 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.313 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि वादीगण/प्रथम पक्ष को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ है।

2 द्वितीय पक्ष संख्या 2 प्रथम पक्ष की बहन है जो अपना हक व हिस्सा प्रथम पक्ष के पक्ष में त्याग करने में सहमत है। द्वितीय पक्ष संख्या 3 का प्रथम पक्ष से हार्दिक स्नेह है इसलिए द्वितीय पक्ष संख्या 3 उक्त पैतृक कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है अपना समस्त हक व हिस्सा प्रथम पक्ष के हक त्याग करने में सहमत है।

3 प्रथम पक्ष/वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण सहमति बिना किसी नशा पता, बिना किसी दबाव बहकाव के स्वतंत्र सहमति किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ में आ जाने के बाद सही होना माना है ।

लगातार 3

Scanned by CamScanner

लिखावा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण/प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे ।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र मे वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नही है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण मे उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नही होने के कारण प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागणो ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनो को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों मे जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जददी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित रकबा चक नम्बर 7 एल.के. एस. के खाता संख्या 77 के पत्थर नम्बर 9/280 के किला नम्बर 8 ता 20, 25 की 3.542 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन पत्थर नम्बर 8/280 के किला नम्बर 9 ता 15 की 1.771 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.313 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि मे वादी संख्या

लगातार 4

Scanned by CamScanner

1 रामकुमार को 1.771 हैक्टर वादी संख्या 2 दलीप कुमार को 1.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप को 1.771 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner